UPKJ120019602024

न्यायालय सिविल जज,जू०डि०, छिबरामऊ, कन्नौज।

मूलवाद संख्या–530/2024

ऋषि भूमि शिक्षा समिति सौरिख बनाम नगर पंचायत सौरिख बजरिये अध्यक्ष आदि।

वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ताः **श्री देवेश मिश्रा**

प्रतिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ताः **श्री जगदीश सिंह शाक्य**

दिनांक 22.11.2024

निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 सी2 आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रकिया संहिता एवं अमीन आख्या 20 सी2/1 ता 20 सी2/2

01 पत्रावली आज प्रार्थनापत्र **6 सी2** आदेशार्थ नियत है। उपरोक्त पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

02. प्रार्थना पत्र **6 सी2** के माध्यम से वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि वादी समिति के रूप में ऋषि भूमि हायर सेकेन्ड्री स्कूल सौरिख, जनपद कन्नौज का संचालन करती रही है, जिसका पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या–32 दिनांक 15.05.1952 था, जिसका समय–समय पर नवीनीकरण कराया गया। उक्त शिक्षा समिति ऋषि भूमि हायर सेकेन्ड्री स्कूल वादहू ऋषि भूमि इण्टर कालेज के नाम से शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें संयुक्त रूप से वालक व वालिकाओं शिक्षा प्राप्त करते रहे और शैक्षिक आकार व प्रकार करना, कृषि व विज्ञान आदि में बढ़ोत्तरी के साथ ही उसके लिए जमीन की सामायिक रूप से आवश्यकता हुई। उक्त आवश्यकता की की पूर्ति के लिए तत्कालीन प्रबंधक नन्दराम द्विवेदी ने दिनांक 03.11.1979 को तत्कालीन प्रधान को भूमि आवंटन हेतु याचना की, जिस पर तत्कालीन परगनाधिकारी की स्वीकृति आयोजित की गयी और याचना की वास्तविकता पर विचार कर दिनांक 24.03.1969 को बजाफ्ता कार्यवाही कर विद्यालय को भूमि आवंटन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। ग्रामसभा की सहमति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आराजी नम्बर 131 रकवा 1.75 एकड़ व आराजी नम्बर 145 रकवा 0.11 एकड़ स्थित मौजा सौरिख को आवंटन करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप तत्कालीन प्रधान श्री बनवारी लाल चौरासिया द्वारा एक पंजीकृत दस्तावेज बहक विद्यालय ऋषि भूमि इण्टर कालेज वतारीख 22.11.1971 को बजाफ्ता वफ्फनामा तहरीर व तकमील कर रजिस्ट्री कर दिया और भूमि आवंटित कर कब्जा व दखल वादी को करा दी गयी। वादी उक्त दस्तावेज से बराबर आवंटित आराजी पर अध्यासित रहा है, जिसमें गाटा संख्या–145 रकवा 0.11 एकड़ पर विद्यालय की वाउण्ड्री वाल इमारत तामीर की गयी, जिसमें बालक व बालिकाए शिक्षा ग्रहण कर लाभान्वित हो रही है और आराजी नम्बर 131 को समिति द्वारा विद्यालय के बालक व

बालिकाओं हेतु विभिन्न खेलकूद वार्षिक कार्यक्रम व अनन्य कार्यक्रमों के आयोजनों हेतु इस्तेमाल किया जाता रहा। वादी का कथन है कि आवंटन से उक्त आराजी निजाई पर वादी पूर्ववत् बदस्तूर वकब्जा व दखल व इस्तेमाल विद्यालय का कायम है। वफ्फनामा दिनांकित 22.11.1969 से कभी कोई एतराज गांवसभा वादहू नगर पंचायत सौरिख द्वारा नहीं किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा पेशबन्दी के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के आराजी निजाई के उत्तरी पश्चिमी कोने पर बोरिंग कायम करने के लिए सामान वगैरहा एकत्रित की गयी, जिस पर वादी द्वारा एतराज किया, परन्तु प्रतिवादीगण मानने को तैयार नहीं हैं। अतः वाद दायर करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। यदि प्रतिवादीगण अपनी मंशा में सफल हो गये, तो वादी को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। वादी का प्रथमदृष्टया वाद है एवं सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। याचना की गयी है कि प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई व्यादेश निषेधित किया जाए कि वह वादी के अध्यासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

03. प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति 21 सी2 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी निजाई वर्तमान में मौजा सौरिख की आराजी गाटा संख्या–234 रकवा 0.4050 हे० जो कि श्रेणी 5–3(ड़)कृषि योग्य भूमि बंजर सरकारी कागजात में दर्ज है,जिसकी देखरेख नगर पंचायत सौरिख ही करती है। विवादित आराजी नगर पंचायत सौरिख के कब्जा व दखल में होने पर नगर पंचायत के निवासियों की सुख सुविधा हेतु स्वच्छ पानी की व्यवस्था के लिए नगर पंचायत द्वारा नलकूप हेतु बोरिंग काफी समय से करा रही है, जो कि वादी द्वारा न्यायालय में दावा प्रस्तुत होने से पूर्व बोरिंग हो चुकी है। ग्राम प्रधान को कोई पट्टा विद्यालय के हक में करने का अधिकारी नहीं था। विवादित आराजी पर वादी का कोई कब्जा नहीं है। याचना की गयी है कि वादी का प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त कर दिया जावे।

04. वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में फेहरिस्त 9 सी1 से खतौनी 10 सी1, खसरा 11 सी1, एक किता मूल वफ्फनामा 12 सी1, एक किता डिप्टी रजिस्ट्रार के पत्र की प्रति 12 सी1/4, संस्था ऋषि भूमि शिक्षा समिति की साधारण सभा की सूची 13 सी1/1,डिप्टी रजिस्ट्रार के पत्र की प्रति 13 सी1/4,प्रबंध समिति की सूची वर्ष 2024–25 की प्रति 14 सी1,नकल नक्शा ग्राम सौरिख 15 सी1, नकल नक्शा पुरानी जिल्द चकबन्दी 15 सी1/2, उद्धरण खतौनी 16 सी1, सी.एच.11 के खाता नम्बर जीर्ण शीर्ण होने के कारण नकल न जारी किये जाने के संबंध में आख्या कागज संख्या–17 सी1 एवं उद्धरण खतौनी 18 सी1, शपथ पत्र 19 सी1 के संलग्नक के रूप में आकार पत्र 41 की प्रति 19 सी2/3 ता 5, आकार पत्र 45 की छाया प्रति 19 सी2/6, एक प्रार्थना पत्र की छाया प्रति 19 सी2/7,रजिस्ट्रीकरण सोसायटी के नाम में परिवर्तन का प्रमाण पत्र की छाया प्रति कागज संख्या–19 सी2/9, सोसायटी के नवीनीकरण प्रमाण पत्र की प्रति 19 सी2/10 एवं सूची 29 सी1 से एक किता शासनादेश संख्या–4/1–1(1)1980–राजस्व–1,दिनांक 11.11.1980 कागज संख्या–30 सी1, एक किता गाँवसभा की सम्पत्ति और उसका प्रबंध नियम पृष्ठ संख्या–111 नियम 176,177 की प्रति 31 सी1 एवं एक किता उ०प्र० गाँवसभा एवं भूमि प्रबंधक समिति मैनुअल परिशिष्ट–3 पृष्ठ संख्या–206 की प्रति 32 सी1 दाखिल किये गये हैं।

05. प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 24 सी1 से उद्धरण खतौनी 25 सी1 व खसरा 26 सी1 दाखिल किये गये हैं।

06. पत्रावली पर अमीन रिपोर्ट मय नक्शा कागज संख्या–20 सी2/1 लगायत–20 सी1/2 से उपलब्ध है। अमीन आख्या पर उभय पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी तथा दोनों पक्षों की मौखिक सुनवाई के उपरान्त अमीन आख्या कागज संख्या–20 सी2/1 मय मानचित्र 20 सी2/2 के अवलोकन के उपरान्त साक्ष्य के अधीन सम्पुष्ट किया गया।

07. पत्रावली का अवलोकन किया ।

08. प्रार्थनापत्र 6 सी2 के निस्तारण में मुख्यतः तीन बिन्दुओ पर निष्कर्ष पारित किया जाना आवश्यक है–

01. प्रथम दृष्टया वाद एवं पक्षकारों का आचरण,
02. सुविधा का संतुलन,
03. अपूर्णनीय क्षति,

<u>प्रथम दृष्टया वाद एवं पक्षकारों का आचरण</u>

09. न्यायालय के समक्ष इस स्तर पर विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रथमदृष्टया मामला वादी के पक्ष में बनता है अथवा नही तथा क्या वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आये है अथवा नही ?

10. वादी का संक्षेप में कथन है कि वादी समिति के रूप में ऋषि भूमि हायर सेकेन्ड्री स्कूल सौरिख, जनपद कन्नौज का संचालन करती रही है, जिसका पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या–32 दिनांक 15.05.1952 था, जिसका समय–समय पर नवीनीकरण कराया गया। उक्त शिक्षा समिति ऋषि भूमि हायर सेकेन्ड्री स्कूल वादहू ऋषि भूमि इण्टर कालेज के नाम से शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें संयुक्त रूप से वालक व वालिकाओं शिक्षा प्राप्त करते रहे और शैक्षिक आकार व प्रकार करना, कृषि व विज्ञान आदि में बढ़ोत्तरी के साथ ही उसके लिए जमीन की सामायिक रूप से आवश्यकता हुई।

11. उक्त आवश्यकता की की पूर्ति के लिए तत्कालीन प्रबंधक नन्दराम द्विवेदी ने दिनांक 03.11.1979 को तत्कालीन प्रधान को भूमि आवंटन हेतु याचना की, जिस पर तत्कालीन परगनाधिकारी की स्वीकृति आयोजित की गयी और याचना की वास्तविकता पर विचार कर दिनांक 24.03.1969 को बजाफ्ता कार्यवाही कर विद्यालय को भूमि आवंटन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। ग्रामसभा की सहमति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आराजी नम्बर 131 रकवा 1.75 एकड़ व आराजी नम्बर 145 रकवा 0.11 एकड़ स्थित मौजा सौरिख को आवंटन करने का सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप तत्कालीन प्रधान श्री बनवारी लाल चौरासिया द्वारा एक पंजीकृत दस्तावेज बहक विद्यालय ऋषि भूमि इण्टर कालेज वतारीख 22.11.1971 को बजाफ्ता वफ्फनामा तहरीर व तकमील कर रजिस्ट्री कर दिया और भूमि आवंटित कर कब्जा व दखल वादी को करा दी गयी।

12. वादी उक्त दस्तावेज से बराबर आवंटित आराजी पर अध्यासित रहा है, जिसमें गाटा संख्या–145 रकवा 0.11 एकड़ पर विद्यालय की वाउण्ड्री वाल इमारत तामीर की गयी, जिसमें वालक व वालिकाए शिक्षा ग्रहण कर लाभान्वित हो रही है और आराजी नम्बर 131 को समिति द्वारा विद्यालय के वालक व वालिकाओं हेतु विभिन्न खेलकूद वार्षिक कार्यक्रम व अनन्य कार्यक्रमों के आयोजनों हेतु इस्तेमाल किया जाता रहा, जो कि शैक्षणिक विकास व उपयोगिता के लिहाज से अति आवश्यक है।

13. परगनाधिकारी, छिबरामऊ द्वारा अनुमोदित तथा गाँवसभा द्वारा विद्यालय को आवंटित उक्त आराजी को दौरान चकबन्दी नये नम्बरान कायम हुये, जिसमें आराजी नम्बर 131/3 का नया नम्बर 234 व गाटा संख्या–145 का नया नम्बर 245 खेल का मैदान स्कूल दर्ज हुआ। वादी का कथन है कि आवंटन से उक्त आराजी निजाई पर वादी पूर्ववत् बदस्तूर वकब्जा व दखल व इस्तेमाल विद्यालय का कायम है। वफ्फनामा दिनांकित 22.11.1969 से कभी कोई एतराज गांवसभा वादहू नगर पंचायत सौरिख द्वारा नहीं किया गया। उक्त आराजी वेशकीमती व बहूमूल्य है। प्रतिवादीगण द्वारा पेशबन्दी के कारण अनायास, अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आराजी निजाई के उत्तरी पश्चिमी कोने पर बोरिंग कायम करने के लिए सामान वगैरहा एकत्रित की गयी, जिस पर वादी द्वारा एतराज किया, परन्तु प्रतिवादीगण मानने को तैयार नहीं हैं। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

14. प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति में वादी के कथनों का खण्डन करते हुये मूलतः कथन किया गया कि आराजी निजाई वर्तमान में मौजा सौरिख की आराजी गाटा संख्या–234 रकवा 0.4050 हे० जो कि श्रेणी 5–3(ड़)कृषि योग्य भूमि बंजर सरकारी कागजात में दर्ज है, जिसकी देखरेख नगर पंचायत सौरिख ही करती है और उसका कब्जा व दखल व स्वामित्व नगर पंचायत सौरिख को प्राप्त है। विवादित आराजी नगर पंचायत सौरिख के कब्जा व दखल में होने पर नगर पंचायत के निवासियों की सुख सुविधा हेतु स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नगर पंचायत सौरिख की है, जिसके कारण नगर पंचायत द्वारा नलकूप हेतु बोरिंग काफी समय से करा रही है, जो कि वादी द्वारा न्यायालय में दावा प्रस्तुत होने से पूर्व बोरिंग हो चुकी है। ग्राम प्रधान को कोई पट्टा विद्यालय के हक में करने का अधिकारी नहीं था। विवादित आराजी पर वादी का कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थना पत्र वादी निरस्त किया जाए।

15. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा गाटा संख्या–234 रकवा 0.4050 हे०, जिसे वाद पत्र में अक्षर ए.बी.सी.डी. से प्रदर्शित किया गया है तथा जिसकी चौहद्दी पूरब–सौरिख सकरावा मार्ग, पश्चिम–कब्रिस्तान गाटा संख्या–233, उत्तर सौरिख कबीरपुर रोड तथा दक्षिण–आराजी नम्बरान 235, 237 व जुज 241 पर अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु याचना की गयी है तथा वादी का कथन है कि वादी उक्त आराजी पर विद्यालय के खेल कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वादी द्वारा कागज संख्या–12 सी1/1 ता 3 से एक सत्य प्रतिलिपि वफ्फनामा दिनांकित 22.11.1971 दाखिल किया गया है, जिसके अवलोकन से यह विदित होता है कि बनवारी लाल चौरसिया प्रधान द्वारा वादी की समिति ऋषि भूमि इण्टर कालेज को सुन्दर बनाने व उन्नति के लिए गाटा संख्या–131 रकवा 01 एकड़ 75 डि० और गाटा संख्या–145, 11 डि० का वफ्फनामा लिख दिया तथा इस पंजीकृत वफ्फनामा में यह भी अंकित किया गया कि परगना साहब तहसील छिबरामऊ ने भी स्वीकृत दे दी है। वादी द्वारा तत्कालीन प्रधान को लिखे पत्र की छाया प्रति कागज संख्या–19 सी2/7 के रूप में दाखिल की गयी, जिसमें नन्दराय द्विवेदी द्वारा प्रधान सौरिख से गाटा संख्या–131 और गाटा संख्या–145 की भूमि को कालेज को दान देने हेतु याचना की गयी है। कागज संख्या–19 सी2/8 में जो प्रस्ताव दिनांक 28.03.1969 को पारित हुआ उसकी भी छाया प्रति दाखिल की गयी। वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त दस्तावेजों के जरिये वादी मालिक काबिज है।

16. वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है तथा जिसके समर्थन में पत्रावली पर दस्तावेज उपलब्ध है कि गाटा संख्या–131 दौरान चकबन्दी गाटा संख्या–234 के रूप में दर्ज हो गयी तथा गाटा संख्या–145 गाटा संख्या–245 के रूप में परिवर्तित हुआ,जो खेल के मैदान के रूप में दर्ज हुआ। वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादी एक शैक्षणिक समिति है, जो शिक्षा का कार्य करती है और शिक्षा के प्रसार हेतु यह एक सोसायटी के रूप में दर्ज है। चकबन्दी प्रक्रियाओं में गाटा संख्या–145 खेल के मैदान के रूप में दर्ज हुआ वादहू गाटा संख्या 245 खेल के मैदान के रूप में दर्ज हुआ,परन्तु गाटा संख्या–131 वादहू गाटा संख्या–234 रकवा 0.4050 हे० कृषि योग्य बंजर के रूप में दर्ज हो गया, जिसका लाभ लेते हुये प्रतिवादीगण जबरिया निर्माण करने पर अमादा है।

17. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त दस्तावेज जो प्रधान द्वारा पंजीकृत कराया गया वह शून्य दस्तावेज है, क्योंकि प्रधान के पास ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नही है जो जमीन को विद्यालय के नाम वफ्फनामा कर हस्तान्तरित कर दे।

18. बहस के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कागज संख्या–15 सी1/1 ता 15 सी1/2 पर ध्यान आकृष्ट कराया गया। **कागज संख्या–15 सी1/2 नकल नक्शा पुरानी जिल्द चकबन्दी है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा संख्या–131 व 145 के बीच में कई बड़े गाटा संख्या की आराजी स्थित है। न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर वादी द्वारा विद्यालय का निर्माण किस गाटा संख्या पर कराया गया, क्योंकि खेल का मैदान गाटा संख्या–145 में है, इस पर वादी विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि विद्यालय का निर्माण गाटा संख्या–153 पर है। उक्त नकल नक्शा जिल्द चकबन्दी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गाटा संख्या–145 व गाटा संख्या–131 के बीच कई गाटा संख्या आते है तथा उसके बीच काफी दूरी है। इसी प्रकार गाटा संख्या–153 व गाटा संख्या–131 के बीच काफी दूरी है। स्वाभाविक रूप से यह सम्भाव्य प्रतीत नहीं होता है कि विद्यालय भवन व खेल के मैदान के बीच में इतनी दूरी हो।**

19. गाटा संख्या–131,145,153 के बीच की दूरी के साथ–साथ यह भी प्रश्न खड़े होते हैं कि गाटा संख्या–131 पर सन् 1971 में ही स्वामित्व प्राप्त करने के बावजूद वाद दायर की तिथि तक लगभग 50 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद विद्यालय भवन का निर्माण या अन्य कोई निर्माण क्यों नहीं कराया गया। वादी द्वारा खतौनी में इन्द्राज क्यों नहीं कराया गया ?

20. गाटा संख्या–131 जो कि गाटा संख्या–234 के रूप में परिवर्तित है वह मौके पर खाली परती पड़ी है,जैसा कि अमीन महोदय की आख्या कागज संख्या–20 सी2/1 मय मानचित्र 20 सी2/2 में अंकित है। अमीन आख्या पर उभय पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी तथा दोनों पक्षों की मौखिक सुनवाई के उपरान्त अमीन आख्या कागज संख्या–20 सी2/1 मय मानचित्र 20 सी2/2 के अवलोकन के उपरान्त साक्ष्य के अधीन सम्पुष्ट किया गया। **अमीन आख्या कागज संख्या–20 सी2/1 मय मानचित्र 20 सी2/2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा संख्या–131 नया नम्बर 234 खाली पड़ी है तथा TW1 स्थान पर ट्यूबवेल की बोरिंग की जा रही है तथा काफी मात्रा में कंकरीट पड़ी है। अतः अमीन आख्या से भी यह तथ्य पुष्ट होते हैं कि शिक्षा समिति द्वारा 50 वर्ष में शैक्षणिक उन्नति के लिए कोई भी निर्माण कार्य नहीं किये गये।** इस स्तर पर यह भी कथन करना उचित है कि गाटा संख्या–153 में विद्यालय निर्माण

किये जाने का कथन किया गया है तथा गाटा संख्या–145 नया नम्बर 245 खेल के मैदान के रूप में वादी को आज भी प्राप्त है। ऐसे में इस स्तर पर गाटा संख्या–131 नया नम्बर 234 जो कि विवादित है वह कृषि योग्य बंजर के रूप में दर्ज है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी नगर पंचायत को प्राप्त है तथा इसी के आधार पर नगर पंचायत सौरिख नगर पंचायत में रह रहे निवासियों की सुख सुविधा के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था हेतु बोरिंग करा रही है। वादी का कोई कब्जा प्रथमदृष्टया प्रतीत नहीं होता है।

21. वादी द्वारा सूची 29 सी1 से एक किता शासनादेश संख्या–4/1–1(1)1980–राजस्व–1, दिनांक 11.11.1980 के संबंध में सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० विभाग लखनऊ द्वारा जारी आदेश समस्त जिलाधिकारी उत्तरप्रदेश संख्या–2455/J–5–565/00, दिनांक 24 मार्च 1981, एक किता गाँवसभा की सम्पत्ति और उसका प्रबंध नियम पृष्ठ संख्या–111 नियम 176, 177 की प्रति व एक किता उ०प्र० गाँवसभा एवं भूमि प्रबंधक समिति मैनुअल परिशिष्ट–3 पृष्ठ संख्या–206 की प्रति दाखिल की गयी है। उक्त का अवलोकन किया। कागज संख्या–30 सी1 के शासनादेश से भी वादी को कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि उक्त शासनादेश में पट्टे के संबंध में जो शासनादेश दिनांक 11 नवम्बर 1980 को जारी हुआ है, उसे निरस्त नही किये जाने का कथन किया गया है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वादी के हक में कोई पट्टा नहीं किया गया है। वादी द्वारा परगनाधिकारी द्वारा कोई अनुमोदन किया गया हो, ऐसा कोई साक्ष्य इस स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रधान द्वारा वफ्फनामा लिख जाने से वादी को कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। वादी को चाहिए था कि वह कानूनी कार्यवाहियों को अमल में लाकर सक्षम प्राधिकारी से गाटा संख्या–131 पर शैक्षणिक समिति का नाम दर्ज करवाते।

22. **<u>प्रस्तुत प्रकरण में लोक हित का भी प्रश्न निहित है।</u>** वादी द्वारा नगर पंचायत समिति सौरिख द्वारा लोक हित में बनाये जा रहे ट्यूबवेल को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की याचना की गयी। उक्त के संबंध में **विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा–41(ha)** का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रावधान में यह उल्लखित है कि, ''**यदि निषेधाज्ञा से यदि किसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में अड़चन आती है या विलम्ब होता है अथवा उससे संबंधित सुसंगत संविदा के सतत् व्यवस्था में या ऐसी परियोजना की विषय वस्तु होने के कारण सेवा में हस्तक्षेप होता है तो व्यादेश नामंजूर किया जाता है।**''

23. प्रस्तुत प्रकरण में भी नगर पंचायत सौरिख के निवासियों के लिए स्वच्छ पानी हेतु जो अवसंरचना या नलकूप लगाने का कार्य प्रगति पर है व्यादेश जारी करने पर अड़चन पैदा होगी।

24. उक्त के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Mahadeo Savlaram Shelke vs. Pune Municipal Corporation, 1995 AIR SCW 1439** का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उक्त विधि व्यवस्था में यह अभिमत पारित किया गया है कि, ''**It would thus be clear that in a suit for perpetual injunction, the court should enquire on affidavit evidence and other material placed before the court to find strong prima facie case and balance of convenience in favour of granting injunction otherwise irreparable damage or damage would ensue to the plaintiff. The court should also find whether the plaintiff would adequately be compensated by damages if injunction is not**

granted. It is common experience that injunction normally is asked for and granted to prevent the public authorities or the respondents to proceed with execution of or implementing scheme of public utility or granted contracts for execution thereof. Public interest is, therefore, one of the material and relevant considerations in either exercising or refusing to grant ad interim injunction.''

25. उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में तथा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत प्रकरण में नगर पंचायत सौरिख द्वारा लोक हित का कार्य किया जा रहा है तथा भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं है तथा प्रथमदृष्टया वादी का कब्जा भी नहीं है, ऐसे में निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाना उचित हीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं बनता है।

सुविधा का संतुलन

26. जहां तक सुविधा के संतुलन का प्रश्न है तो उपरोक्त विश्लेषण यह विदित होता है कि वादी इस स्तर पर अपना प्रथमदृष्टया वाद साबित करने में असफल रहा है।

27. उपरोक्त के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपारित विधि व्यवस्था **राज कुमार सिंह भदौरिया बनाम सव्य मोहन पाण्डेय व अन्य 2012(93)ए०एल०आर० 3030** में यह अभिमत पारित किया गया है कि, "यदि प्रथमदृष्टया वाद साबित नहीं होता है, तब ऐसी परिस्थिति में सुविधा के संतुलन वादी के पक्ष में नहीं बनता है।''

अपूर्णनीय क्षति

28. जहाँ तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है तो प्रस्तुत प्रकरण में लोक हित का प्रश्न निहित है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के पास शैक्षणिक कार्य हेतु विद्यालय भवन तथा खेल का मैदान उपलब्ध है। वादी द्वारा 50 वर्षो तक विवादित आराजी पर कोई निर्माण नहीं किये गये, जबकि 50 वर्ष पूर्व ही विवादित आराजी प्राप्त कर लेने का कथन वादी द्वारा किया गया, जिसके संबंध में दस्तावेज दाखिल किये गये। 50 वर्ष के बावजूद कोई निर्माण शैक्षणिक उन्नति के लिए नहीं किये गये,तो ऐसे में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश न दिये जाने से वादी को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

29. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में वादी का प्रार्थना पत्र 6सी2 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6सी2 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा **निरस्त** किया जाता है। आपत्ति तद्नुसार निस्तारित की जाती है। प्रतिवादीगण का जबावदावा पत्रावली पर आ चुका है।

अतः पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु विरचन हेतु दिनांक को पेश हो।

(अनूप कुमार)
सिविल जज(जू०डि०),
छिबरामऊ, कन्नौज